पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

अभिनव उत्पाद और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए

दिशा-निर्देश

तथा

आवेदन पत्र का प्रारूप

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारत सरकार

http://www.dsir.gov.in

मई 2022

विषय सूची

पृष्ठ सं

I.	पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस) - दिशा-निर्देश	1
II.	ऋण और सब्सिडी की निदर्शी चुकौती अनुसूची - अनुबंध	8
III.	आवेदन प्रारूप - अनुलग्नक-I	9
IV.	बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण के लिए प्रारूप - अनुलग्नक-II	14
V.	प्रस्ताव के स्व-मूल्यांकन के लिए प्रारूप - अनुलग्नक-III	15
VI.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	17
VII.	पेस परियोजना आवेदनों के लिए चेकलिस्ट	23

पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

I. दिशा-निर्देश

डीएसआईआर *पेस* योजना के माध्यम से उद्योगों और संस्थानों को नवीन उत्पाद और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरक सहायता प्रदान करता है, जो अवधारणा के प्रमाण या प्रयोगशाला चरण से पायलट चरण तक की यात्रा को पार करता है, ताकि उन्हें व्यावसायीकरण के लिए लॉन्च किया जा सके। यह योजना सरल कार्य का समर्थन करती है और उद्योग की अधूरी जरूरतों को हल करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास या मौजूदा प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक/ अभिनव अनुप्रयोग में सहायता करती है। यह योजना सहयोगी प्रस्तावों का समर्थन करके उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संगठनों/ शैक्षणिक संस्थानों / विश्वविद्यालयों / पीएफआरआई (सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों) के बीच इंटरफेस को भी मजबूत करती है।

1. योजना के उद्देश्य

i. नए उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यावसायीकरण के उद्देश्य से अकेले उद्योग द्वारा स्वदेशी उत्पाद / प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना;

ii. नए उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यावसायीकरण के उद्देश्य से प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए भारतीय उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान का समर्थन करना;

2. योजना का दायरा

i. यह योजना उद्योग को अकेले या अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के सहयोग से प्रौद्योगिकी (या तो अधिग्रहीत प्रौद्योगिकी या अपनी स्वदेशी इन-हाउस प्रौद्योगिकी) विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए समर्थन करती है।

ii. यह योजना किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावों को कवर करेगी, सिवाय जैव प्रौद्योगिकी और एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) के, जो औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए अग्रणी है।

3. पात्रता मापदंड

i. यह योजना निम्नलिखित के लिए: (क) भारत में पंजीकृत सभी उद्योग, जहां कंपनी के कम से कम 51% शेयर अनिवासी भारतीयों सहित भारतीय नागरिकों के पास होने चाहिए। एक स्वस्थ वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड या एक आशाजनक वित्तीय स्वास्थ्य पूर्वानुमान

वाले उद्योग और ऋण के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की स्थिति में होना चाहिए। डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों वाले उद्योग को वरीयता दी जाएगी; और (ख) अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/ पीएफआरआई के लिए खुली होगी ।

ii. अनुसंधान एवं विकास संगठन / शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय / पीएफआरआई के पास अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता और ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

प्रस्ताव उद्योग द्वारा या तो स्वयं या संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास संगठन / शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय / पीएफआरआई के साथ किया जा सकता है। यदि परियोजना में अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय/ पीएफआरआई, अंतर्राष्ट्रीय निकायों/कंपनियों, व्यक्तियों से सहयोग/सहायता शामिल है , तो प्रस्ताव में परियोजना में भाग लेने वाली प्रत्येक इकाई के कार्य के दायरे और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन/समझौते प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4 . ऑपरेटिव तंत्र

प्रौद्योगिकी विकास परियोजना का लक्ष्य आकर्षक बाजार क्षमता वाले नए उत्पाद या प्रक्रिया (प्रक्रिया उपकरण के विकास सहित) का विकास करना चाहिए। परियोजनाओं को संबंधित उद्योग के तकनीकी स्तर को बढ़ाने, टर्नओवर में वृद्धि, ऊर्जा और सामग्री बचत/वसूली, निर्यात बिक्री आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण लाभ मिलना चाहिए।

समर्थित प्रस्तावों की प्रकृति -

(क) एक नए या बेहतर उत्पाद का विकास जिसके परिणामस्वरूप प्रोटोटाइप का विकास हुआ और वाणिज्यिक वातावरण में प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ।

(ख) एक नई या बेहतर प्रक्रिया का विकास जिसके परिणामस्वरूप एक प्रायोगिक संयंत्र में प्रक्रिया की जानकारी, प्रक्रिया उपकरण का विकास और उपज, प्रभावकारिता आदि का प्रदर्शन होता है।

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी का समावेश और उन्नयन।

(घ) आर्थिक मंत्रालयों के परामर्श और सह-वित्तपोषण से पीएसयू की प्राथमिकता प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं।

(ङ) उद्योगों के समूह द्वारा सामान्य उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन।

(च) सरकार की प्रमुख और मिशन मोड परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन।

समर्थित गतिविधियाँ -

डीएसआईआर द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता में मुख्य रूप से प्रोटोटाइप विकास, पायलट प्लांट की लागत और प्रक्रिया उपकरण विकास, उत्पादों का परीक्षण और मूल्यांकन, उपयोगकर्ता परीक्षण और आईपीआर सुरक्षा शामिल है। परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा उद्योग के संसाधनों से होना चाहिए। डीएसआईआर से वित्तीय सहायता मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए विकासात्मक व्यय के हिस्से को पूरा करने के लिए है:

(क) परामर्श (स्वदेशी परामर्श की लागत और अनुसंधान, तकनीकी ज्ञान, पेटेंट, आदि सहित अनुसंधान गतिविधि के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली समकक्ष सेवाएं);

(ख) आईपीआर सुरक्षा, अर्थात। भारत में पेटेंट और पीसीटी फाइलिंग, डिजाइन पंजीकरण, ट्रेडमार्क और आईपीआर सुरक्षा के किसी भी अन्य रूप;

(ग) परिचालन लागत (जैसे कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर टूल्स, प्रोटोटाइप के लिए घटकों/उप-असेंबली, पायलट प्लांट के लिए उपकरण आदि के लिए व्यय, प्रस्तावित अनुसंधान गतिविधि के परिणामस्वरूप सीधे खर्च किया गया)

(घ) परीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन।

(ङ) समर्थन केवल तभी उपलब्ध होता है जब अवधारणा के प्रमाण का प्रमाण मौजूद हो और परियोजना एक अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवाचारों को बढ़ाने के लिए हो।

5. वित्त पोषण तंत्र

(क) उद्योग सीधे डीएसआईआर को या तो स्वयं या अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के सहयोग से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(ख) उपर्युक्त मामलों के लिए वित्त पोषण मानदंड निम्नानुसार होंगे:

1. अकेले उद्योग की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण		सुरक्षित ऋण के रूप में उद्योग को परियोजना लागत का 50% तक समर्थन।
2. अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षणिक		अनुदान के रूप में और सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर)/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार

संस्थान/विश्वविद्यालय/ पीएफआरआई के सहयोग से उद्योग की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण।		अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय/ पीएफआरआई में अनुमानित परियोजना घटक लागत का 100% तक समर्थन, और समर्थन परियोजना घटक लागत का 50% तक, सुरक्षित ऋण के रूप में उद्योग पर खर्च होने का अनुमान है।

(ग) सभी प्रस्तावों की प्रारंभिक रूप से डोमेन विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा की जाएगी। डीएसआईआर द्वारा गठित तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) डोमेन विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा किए गए प्रस्तावों पर विचार करेगी और उचित वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश करेगी। यदि आवश्यक हो, तो विचार किए जा रहे प्रस्तावों के आधार पर टीएसी अतिरिक्त डोमेन विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

(घ) उद्योग को धन जारी करने से पहले डीएसआईआर और डीएसआईआर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संगठन/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय/पीएफआरआई की सहयोगी परियोजनाओं के मामले में एक चतुर्भुज समझौता करना होगा।

(ङ) अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई को प्रदान की गई धनराशि जीएफआर/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बिना किसी भुगतान देयता के सहायता अनुदान होगी।

(च) प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन के लिए उद्योग को प्रदान की जाने वाली धनराशि सुरक्षित ऋण के रूप में होगी। ऋण एक बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा जो भारत सरकार के जीएफआर 2017 प्रावधानों के नियम 255 के अनुसार ऋण की राशि से तैंतीस और एक तिहाई प्रतिशत अधिक होगा। हालांकि बैंक गारंटी किश्तों में ली जाएगी, जो ऋण की रिहाई के साथ मेल खाती है।

(छ) ऋण किस्त प्रत्येक मील के पत्थर के लिए अग्रिम के रूप में वितरित की जाएगी और अगले मील के पत्थर के लिए बाद की ऋण किस्त उद्योग विभाग के खर्च के साथ-साथ पिछले मील के पत्थर के लिए अपने स्वयं के हिस्से के बाद वितरित की जाएगी। पहली किस्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जाएगी। उद्योग खरीद के एक महीने के भीतर पूंजीगत उपकरणों के चालान की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(ज) ऋण लेने वाले (निजी कंपनियों) को सामान्य निर्धारित ब्याज दर (12%) पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा और सामान्य दर और रियायती दर (3%) के बीच के अंतर को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दावा करना होगा उधारकर्ता, मूलधन और उस पर ब्याज के समय पर पुनर्भुगतान के अधीन। उधारकर्ता (उद्योग/कंपनी) को ऋण चुकाने की आवश्यकता होगी, जिस पर ब्याज की गणना किसी भी ऋण किस्त के जारी होने की तिथि से पहली किस्त के पुनर्भुगतान की तिथि तक की जाएगी। कुल मूलधन और पहली किस्त के भुगतान की तिथि तक परिकलित कुल ब्याज का भुगतान पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। इसके अलावा, उधारकर्ता (उद्योग/कंपनी) को पुनर्भुगतान की अवधि के दौरान निर्धारित सामान्य दर पर मूलधन की शेष राशि को कम करने पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा।

(झ) चुकौती योग्य राशि एनआरडीसी द्वारा डीएसआईआर की ओर से एकत्र की जाएगी और डीएसआईआर के पास जमा की जाएगी। इसके बाद, एनआरडीसी पेशेवर सेवा शुल्क के रूप में जमा राशि के 15% *डीएसआईआर से दावा करने का हकदार होगा* / एनआरडीसी द्वारा पेशेवर सेवा शुल्क की राशि पर भुगतान किया जाने वाला सेवा कर या कोई अन्य कर एनआरडीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा। मूलधन और उस पर ब्याज की प्रत्येक किश्त के पुनर्भुगतान के बाद उधारकर्ता (उद्योग/कंपनी) द्वारा सरकार से सब्सिडी का दावा किया जाएगा । ऋण चुकौती और उधारकर्ता द्वारा दावा की जाने वाली सब्सिडी की अनुसूची परिशिष्ट (पृष्ठ 6) में दी गई है।

(ञ) प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना समीक्षा समितियों (पीआरसी) का गठन किया जाएगा जो समय-समय पर (छह महीने में कम से कम एक बार) परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी, ऋण/अनुदान जारी करने, निरंतरता/विस्तार/शॉर्ट-क्लोजर आदि की सिफारिश करेगी।

(ट) इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उत्पाद/प्रक्रिया का व्यावसायीकरण किया गया है या नहीं, उद्योग की ओर से धन वापस करना अनिवार्य होगा और उद्योग द्वारा किश्तों के भुगतान की शुरुआत पूरा होने की तारीख से छह महीने के बाद नहीं होगी। परियोजना की। परियोजना समीक्षा समिति उपयुक्त कारणों को दर्ज कर परियोजना की पूर्णता तिथि को बढ़ा सकती है।

(ठ) परियोजना के पूरा होने/व्यवसायीकरण पर या किसी विवाद की स्थिति में उद्योग द्वारा लौटाई जाने वाली राशि एनआरडीसी, नई दिल्ली द्वारा एकत्र की जाएगी। चुकौती में किसी भी तरह की देरी के लिए सरकार द्वारा विलम्ब की अवधि के लिए निर्धारित सामान्य ब्याज दर से 2½% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा। दण्डात्मक ब्याज वसूल करने की तिथि उस तिथि से होगी जिस दिन चूक की किश्त की अदायगी देय हो जाती है। हालांकि, अगर कंपनी परियोजना को बीच में ही छोड़ देती है या डीएसआईआर

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से परियोजना को छोटा करने का निर्णय लेती है, तो कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य ब्याज दर के साथ प्राप्त धन को वापस करने की आवश्यकता होगी (छूट का दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है) छोड़ने की तारीख से 3 महीने के भीतर जारी करने की तारीख से, जिसके बाद 2.5% का दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। कंपनी को परियोजना के तहत विकसित किसी भी तकनीक को एनआरडीसी को हस्तांतरित करने की भी आवश्यकता होगी। केवल कंपनी/ अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के कारण न होने वाले कारणों से शॉर्ट-क्लोजर होने की स्थिति में , कंपनी के पास यह विकल्प होगा कि वह एनआरडीसी को परियोजना के तहत किसी भी तकनीक को स्थानांतरित न करें/जानें कि कैसे उत्पन्न हुआ है या सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकता है। ऋण के लिए लागू ब्याज की सामान्य दर। कंपनी या तो सब्सिडी का दावा किए बिना तकनीक को बनाए रख सकती है/जान सकती है कि कैसे उत्पन्न होती है या प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित कर सकती है/जानती है कि कैसे उत्पन्न होती है और सब्सिडी का दावा करती है।

(ड) एनआरडीसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से निपटने के लिए अनिवार्य है और मुख्य रूप से उद्योगों को प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और उसके व्यावसायीकरण की सुविधा से संबंधित है। एनआरडीसी सभी त्रिपक्षीय समझौतों [स्वयं, डीएसआईआर और उद्योग को शामिल करते हुए] के लिए हस्ताक्षरकर्ता रहा है, जो कि प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं को डीएसआईआर द्वारा उद्योग को मंजूरी देने से पहले हस्ताक्षरित है। यह पिछले कई वर्षों से कंपनियों से डीएसआईआर अनुदानों की वापसी का सफलतापूर्वक संग्रह कर रहा है। इसलिए, पीएसीई उप-योजना में ऋण वसूली के उद्देश्य से एनआरडीसी का नामांकन जीएफआर-2017 के नियम 204 के अनुसार माना जाता है।

(ढ) कंपनी द्वारा किसी भी चूक के छह महीने बाद या कंपनी द्वारा परियोजना को छोड़ने पर डीएसआईआर द्वारा बैंक गारंटी लागू की जाएगी। किसी भी ऋण किस्त का आंशिक पुनर्भुगतान भी दंडात्मक ब्याज को आकर्षित करने वाला एक डिफ़ॉल्ट माना जाएगा।

(ण) स्वीकृत किए जाने वाले ऋण के अन्य नियम और शर्तें, जिनकी ऊपर चर्चा नहीं की गई है, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)-2017 [नियम संख्या 246 से 263] के अनुसार होंगी।

(त) विकास और प्रदर्शन के लिए परियोजना के पूरा होने के बाद कंपनियों को उत्पाद/प्रक्रिया का व्यावसायीकरण करना होगा।

6. आवेदन प्रक्रिया

परियोजना प्रस्ताव बनाने के लिए आवेदन प्रारूप अनुबंध-I में दिया गया है। नवीन और

तकनीकी रूप से उन्मुख औद्योगिक फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पेन ड्राइव में एक सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्ताव की पांच हार्ड कॉपी जमा करना आवश्यक है। इन प्रस्तावों को मुख्य कार्यकारी/उद्योग के प्रबंध निदेशक या अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के प्रमुखों को अग्रेषित किया जाना चाहिए:

डॉ. सुजाता चक्लानोबिस,
वैज्ञानिक 'जी' और प्रमुख (पेस),
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड,
नई दिल्ली-110016.
ईमेल: priya@nic.in
फोन नंबर: 011-26590277

अनुबंध

II. ऋण और सब्सिडी की निदर्शी चुकौती अनुसूची

4 किस्तों में जारी 10 लाख रुपये की ऋण राशि के साथ उदाहरण:

किश्तों का वितरण
1.4.2017 को जारी 4 लाख रुपये की पहली किस्त
1.4.2018 को जारी की गई 3 लाख रुपये की दूसरी किस्त
1.4.2019 को जारी की गई 2 लाख रुपये की तीसरी किस्त
1.4.2020 को जारी की गई 1 लाख रुपये की चौथी और अंतिम किस्त

परियोजना पूर्ण होने की तिथि: 30.09.2020

छह महीने की मोहलत के बाद पहली किस्त की देय तिथि: 1.4.2021;

प्रति वर्ष निर्धारित सामान्य ब्याज दर - 12%; प्रति वर्ष रियायती ब्याज दर - 3%

पहली किस्त के भुगतान की देय तिथि तक सभी ऋण किश्तों पर कुल ब्याज @ 12% = [4x4+3x3+2x2+1x1]x0.12=रु. 3.60 लाख

पहली किस्त के पुनर्भुगतान की देय तिथि तक सभी ऋण किश्तों पर कुल 3% @ ब्याज = [4x4+3x3+2x2+1x1]x0.03=रु. 0.90 लाख

(राशि लाख रुपये में)

पुनः भुगतान कार्यक्रम	**मूलधन (क)**	**मूलधन का बैलेंस कम करना**	**परिशोधित ब्याज @ 12% (ख)**	**शेष राशि @ 12% कम करने पर ब्याज राशि (ग)**	**देय कुल ब्याज @ 12% (बी+सी)= (घ)**	**परिशोधित ब्याज @ 3% (ङ)**	**शेष राशि @ 3% (च) घटाने पर ब्याज राशि**	**चुकाने योग्य कुल ब्याज @ 3% (ङ+च) = (छ)**	**ब्याज सब्सिडी (घ) - (छ)**
प्रथम किस्त 1.4.2021	2.0	8.00	0.72	--	**0.72**	0.18	--	0.18	**0.54**
द्वितीय किस्त 1.4.2022	2.0	6.00	0.72	0.96	**1.68**	0.18	0.24	0.42	**1.26**
तीसरी किस्त 1.4.2023	2.0	4.00	0.72	0.72	**1.44**	0.18	0.18	0.36	**1.08**
चतुर्थ किस्त 1.4.2024	2.0	2.00	0.72	0.48	**1.20**	0.18	0.12	0.30	**0.90**
पंचम किस्त 1.4.2025	2.0	0	0.72	0.24	**0.96**	0.18	0.06	0.24	**0.72**
कुल	10.0		3.60	2.40	**6.00**	0.90	0.60	1.50	**4.50**

उधारकर्ता द्वारा दावा की जाने वाली कुल सब्सिडी = 6.00 - 1.50 = रु. 4.50 लाख

अनुलग्नक-I

III. नई प्रक्रिया/उत्पाद विकास संबंधी आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव के लिए आवेदन प्रारूप

भाग क: प्रस्ताव का कार्यकारी सारांश

आवेदन के भाग क के रूप में प्रस्ताव का कार्यकारी सारांश एक अलग खंड के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। कवरेज व्यापक और स्वयं निहित होना चाहिए, क्योंकि यह कार्यकारी सारांश तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान चर्चा के लिए परिचालित किया जाएगा। इसमें, संक्षेप में, प्रस्ताव के सभी विवरण, 5 से अधिक पृष्ठों में शामिल होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के भाग ख और भाग ग को तैयार करते समय यह भाग स्वचालित रूप से बनाया और संपादित किया जा सकता है।

1. परियोजना का शीर्षक
2. आवेदकों का नाम
   - कंपनी का संक्षिप्त इतिहास
   - तालिका में पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी का वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड
   - सहयोगी संस्था/एजेंसी का संक्षिप्त विवरण
3. परियोजना के उद्देश्यों
4. पूर्व कार्य और अवधारणा का प्रमाण कार्य पहले ही किया जा चुका है
5. पूर्व-व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक अप-स्केलिंग, नवीन सामग्री को स्पष्ट रूप से बताते हुए
6. प्रोजेक्ट टीम और उनकी साख
7. PERT/GANTT चार्ट आदि सहित परियोजना की अवधि और कार्य योजना ।
8. परियोजना बजट परिव्यय और डीएसआईआर से मांग
9. मुख्य उत्पाद
10. व्यावसायीकरण योजना

भाग-ख: प्रस्ताव का सामान्य विवरण

परियोजना का शीर्षक

ख1. कंपनी बैकग्राउंड

i. कंपनी का नाम और पूरा पता (पत्राचार, प्रशासनिक कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय, टेलीफोन नंबर/फैक्स/ई-मेल आदि)

ii. कॉर्पोरेट इतिहास का संक्षिप्त विवरण,

iii. कंपनी की स्थिति– प्रा. लिमिटेड/लिमिटेड/संयुक्त क्षेत्र/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

iv. पंजीकरण संख्या के साथ निगमन की तिथि

v. क्या फर्म की आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाई को डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त है (यदि हां, तो पंजीकरण संख्या और तिथि, मान्यता पत्र की प्रति संलग्न करें)।

vi. निदेशक मंडल और आज की तारीख के अनुसार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न

vii. भविष्य के लिए अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियां, योजनाएं और अनुमान,

viii. नीचे दिए गए प्रासंगिक वित्तीय संकेतकों सहित पिछले तीन वर्षों के लिए कंपनी का पूरा वित्तीय विवरण।

क्रमांक	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष ----**	**वित्तीय वर्ष ----**	**वित्तीय वर्ष ----**
1	आरक्षित और अधिशेष			
2	सुरक्षित कर्ज			
3	असुरक्षित ऋण			
4	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां			
5	बिक्री कारोबार			
6	कुल आय			
7	कुल खर्च			
8	कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय (पूंजी+आवर्ती)			
9	थपथपाना			
10	संचयी लाभ/हानि बीएस . को वहन किया गया			

ix. परियोजना या अन्य परियोजनाओं आदि के लिए आवेदक के विरुद्ध बकाया ऋणों का विवरण,

x. आवेदक कंपनी के खिलाफ शुरू की गई अदालत में अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो,

xi. सहयोगी परियोजनाओं के मामले में सहयोगी एजेंसी का पृष्ठभूमि विवरण।

ख2. प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि

i. प्रौद्योगिकी, ऐतिहासिक मूल और पेटेंट की स्थिति का विवरण,

ii. प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों, प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान, मानकों/विनिर्देशों,

iii. ज्ञान अंतराल, प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तत्व, सक्षम करने वाली प्रौद्योगिकियां,

ख3. कार्मिक पृष्ठभूमि

i. प्रोजेक्ट टीम और उनकी साख,

ii. सहयोगी परियोजनाओं के मामले में सहयोगी एजेंसी का कार्मिक विवरण।

ख4. परियोजना की अवधि और कार्य योजना

कार्य योजना के लिए, परियोजना नियोजन (PERT/GANTT चार्ट आदि) के लिए उपयोग की जाने वाली वर्क ब्रेकडाउन संरचना जैसी अग्रिम परियोजना नियोजन तकनीकें। गतिविधियों को कार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिनकी नियमित रूप से निगरानी की जा सकती है। प्रत्येक कार्य के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान की जानी है।

ख 5. केंद्र/राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण और पिछली परियोजनाओं के तहत ऋण चुकौती, यदि कोई हो।

ख 6. क्या कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं सहित परियोजना को हाथ में लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है? यदि हां, तो बोर्ड के संकल्प/ प्राधिकरण की सही प्रति संलग्न करें (अनुलग्नक II)

भाग ग: परियोजना के तकनीकी, वित्तीय, आउटपुट/परिणाम और वाणिज्यिक विवरण

ग1. तकनीकी जानकारी

i. परियोजना के उद्देश्यों,
ii. पूर्व कार्य और अवधारणा कार्य का प्रमाण पहले ही किया जा चुका है,
iii. पूर्व व्यावसायीकरण के लिए आवश्यक अप-स्केलिंग,
iv. प्रस्तावित गतिविधियों में नवीन सामग्री,
v. उत्पाद/प्रक्रिया पर साहित्य सर्वेक्षण और पेटेंट खोज के परिणाम,
vi. तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीकी चुनौतियां और कार्य योजना,
vii. परियोजना और शमन योजना में परिकल्पित जोखिम कारक,
viii. उत्पाद/पायलट संयंत्र के लिए लक्षित विनिर्देश।
ix. प्रोटोटाइप की संख्या और संख्या और टेस्ट प्रोटोकॉल चुनने का कारण। प्रक्रिया नवाचार के मामले में, प्रायोगिक संयंत्र के लिए औचित्य।

ग2. वित्तीय विवरण

बजट परिव्यय में प्रत्येक व्यय शीर्ष का विस्तृत विवरण औचित्य के साथ अलग से प्रदान किया जाना चाहिए। वह लागत अनुमान दिए जाने हैं और उसी को बैकअप ऑफ़र / अनुमान द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। लागत अनुमानों को पूर्ण औचित्य के साथ वास्तविक रूप से तैयार किया जाना आवश्यक है।

i. उद्योग में परियोजना का बजट परिव्यय

क्र.सं.	व्यय शीर्ष	कुल अनुमानित लागत		डीएसआईआर से मांग
		पूंजी	पुनरावर्ती	
1.	बाहरी एजेंसियों से डिजाइन/इंजीनियरिंग/परामर्श (उनकी पृष्ठभूमि और उन्हें सौंपा गया कार्य लागत अनुमान के साथ दिया जाना है)।			
2.	पायलट प्लांट की स्थापना या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट (सब-असेंबली/कंपोनेंट्स/पार्ट्स/उपभोज्य, सॉफ्टवेयर, असेंबली/इंटीग्रेशन)।			
3.	रसायन और कच्चे माल की खपत, यांत्रिक उपकरण, जिग्स, जुड़नार, डाई, सॉफ्टवेयर उपकरण आदि।			
4.	उद्योग कर्मियों की जनशक्ति लागत (उनकी यात्रा लागत सहित)।			
5.	पायलट प्लांट के लिए या प्रोटोटाइप के परीक्षण के लिए आवश्यक विशिष्ट परीक्षण उपकरण।			
6.	परीक्षण / धीरज परीक्षण / राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन।			
	कुल (क)			

ii. सहयोगी एजेंसी में परियोजना का बजट परिव्यय, यदि लागू हो

क्रमांक	व्यय शीर्ष	कुल अनुमानित लागत		डीएसआईआर से मांग
		पूंजी	पुनरावर्ती	
1.	**व्यावसायिक शुल्क**			
2.	उपकरण, मशीनरी, उपभोज्य, आदि।			
3.	अन्य			
	कुल (ख)			
कुल परियोजना लागत (क+ख)				

ग 3. मौजूदा सुविधाएं जिनका उपयोग किया जाएगा।

कंपनी के साथ मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। एक आवेदक को परियोजना में उत्पादन और परीक्षण उपकरणों की सूची संलग्न करने से बचना चाहिए। केवल उन्हीं सुविधाओं पर प्रकाश डाला जाना चाहिए जो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। परीक्षण सुविधाओं की स्थापना सामान्य रूप से समर्थित नहीं है; तथापि, यदि आवेदक प्रोटोटाइप के परीक्षण के लिए विशिष्ट और विशिष्ट परीक्षण उपकरण खरीदना/विकसित करना चाहता है, तो उसे औचित्य के साथ विशेष परीक्षण उपकरणों की सूची में शामिल किया जा सकता है।

ग 4. आउटपुट / परिणाम का सारांश

i. मुख्य उत्पाद,
ii. पांच साल के लिए अपेक्षित व्यावसायिक कारोबार,
iii. आईपीआर पीढ़ी,
iv. बाजार हिस्सेदारी में सुधार,
v. लागत में कमी, ऊर्जा खपत/उत्सर्जन में कमी,
vi. विदेशी मुद्रा आय,
vii. संसाधन विशेषज्ञों के साथ नेटवर्किंग,
viii. क्षमताओं का संवर्धन।

ग 5. वाणिज्यिक विवरण

i. बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, निर्यात संभावनाएं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा,
ii. संचालन का न्यूनतम आर्थिक पैमाना,
iii. प्रतियोगी की प्रोफ़ाइल और उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल,
iv. व्यावसायीकरण योजना।

अनुलग्नक

1. आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाई मान्यता पत्र डीएसआईआर द्वारा, यदि लागू हो।
2. बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण (अनुलग्नक II में प्रारूप)
3. प्रस्ताव का स्व-मूल्यांकन (अनुलग्नक III में प्रारूप)
4. अनुभाग VII में उल्लिखित जांच सूची के अनुसार अन्य अनुलग्नक

मुख्य कार्यकारी/ प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-II

IV. बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण के लिए प्रारूप

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव का सार पर आयोजित

***दिन दिनांक जगह* पर।**

-- -- ---

निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित मदों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

1. *कंपनी का नाम परियोजना के शीर्षक* पर परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और *पेटेंट* अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस) योजना के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत है ।

2. *अधिकृत कर्मियों के नाम कंपनी* के नाम की ओर से कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं ।*

3. *कंपनी का नाम* परियोजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और अनुमानित अवधि में परियोजना को पूरा करने के लिए डीएसआईआर समर्थन के अलावा वित्तीय सहित सभी आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।

//प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि//

कंपनी के नाम के लिए

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणी

1. * अधिमानतः, सीएमडी समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

2. बोर्ड के संकल्प पर कंपनी की आम मुहर होनी चाहिए

अनुलग्नक-III

V. प्रस्ताव के स्व-मूल्यांकन के लिए प्रारूप

पेटेंट अधिग्रहण और सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पेस)

परियोजना का शीर्षक:

कंपनी:

द्वारा मूल्यांकन:

मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य : परियोजना का सफल समापन और प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण

इसके संबंध में जांच की जाने वाली परियोजना : अभिनव सामग्री, उद्देश्य, परियोजना टीम, कार्य योजना, वित्तीय और व्यावसायीकरण

मानदंड इस तरह से तैयार किया गया है (आमतौर पर क्वेरी फॉर्म में) कि 5-बिंदु पैमाने पर मूल्यांकन करना संभव है [5 - उत्कृष्ट; 4 - बहुत अच्छा; 3 - अच्छा; 2 - औसत; 1 - खराब]

सं.	मानदंड **[कोष्ठक]** में दिया गया वेटेज	गुणात्मक टिप्पणियाँ	मूल्यांकन [1-5]
1	अभिनव सामग्री		
क.	परियोजना में अभिनव सामग्री या पेटेंट, डिजाइन पंजीकरण आदि के लिए परियोजना की क्षमता (उदाहरण के लिए दायर पेटेंट, डिजाइन पंजीकरण आदि से उच्च रेटिंग प्राप्त होगी) **[10%]**		
ख.	संभावना है कि अभिनव उत्पाद / प्रक्रिया के विकास से कंपनी की छवि में प्रतिस्पर्धा और सुधार में वृद्धि होगी। **[5%]**		
2	उद्देश्यों		
क.	उद्देश्यों की परिभाषा में स्पष्टता (स्पष्टता का आकलन यह जांच कर किया जा सकता है कि क्या उद्देश्य कंपनी की दृष्टि, मिशन और मुख्य दक्षताओं के अनुरूप हैं, क्या मध्यवर्ती चरणों को पूरा करने के लिए अंतिम उद्देश्य को छोटे उद्देश्यों में तोड़ा गया है, क्या उद्देश्य पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हैं, आदि) **[10%]**		
ख.	उद्देश्यों का सामाजिक प्रभाव। **[5%]**		
3	परियोजना दल		
क.	परियोजना टीम की ताकत; उनकी योग्यता, अनुभव, आदि। **[10%]**		
ख	अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ जुड़ाव और जुड़ाव आदि। **[5%]**		

4	कार्य योजना		
क.	कार्य योजना में स्पष्टता (मीलस्टोन और समय के लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है या नहीं, इसका परीक्षण करके स्पष्टता का आकलन किया जा सकता है) **[10%]**		
ख.	परियोजना प्रबंधन उपकरणों का परिनियोजन (जैसे बार चार्ट, पर्ट चार्ट और अन्य उन्नत उपकरण) **[10%]**		
5	वित्तीय स्थिति		
क.	कंपनी की वित्तीय स्थिति और परियोजना के लिए धन जुटाने की इसकी क्षमता (डीएसआईआर के हिस्से के अलावा) **[10%]**		
ख.	बजट विवरण और उनकी तर्कसंगतता का अनुमान **[5%]**		
6	व्यावसायीकरण		
क.	कंपनी की मार्केटिंग रणनीति / योजना की गुणवत्ता **[10%]**		
ख.	बाजार में पेश किए जाने के संभावित समय पर विकसित किए जा रहे उत्पाद/प्रक्रिया की मांग **[5%]**		
ग.	संभावना है कि मांग पर्याप्त रूप से परियोजना में निवेश (डीएसआईआर और कंपनी की हिस्सेदारी) का ख्याल रखेगी **[5%]**		
	कुल		

<u>अंतिम सिफारिशें</u>

मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

VI. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. *कौन आवेदन कर सकता है?*
सभी भारतीय उद्योग (प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां) पीएसीई के तहत समर्थन के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उन उद्योगों को वरीयता दी जाएगी जिनकी इन-हाउस आर एंड डी इकाइयां डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

2. *क्या इंस्टिट्यूट लिंकेज जरूरी है?*
डीएसआईआर उद्योग को अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के साथ नेटवर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है जहां कहीं भी क्षमताएं और सुविधाएं मौजूद हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। उद्योग सभी परियोजनाएँ अपने आप ले सकते हैं। यदि यह अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई के साथ उद्योग की एक संयुक्त परियोजना है, तो परियोजना प्रस्ताव पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि उद्योग अनुसंधान एवं विकास संगठनो/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई से केवल सीमित सेवाओं और परामर्श की मांग कर रहा है, तो प्रस्ताव में अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के निदेशक से एक पत्र या प्रस्ताव शामिल होना चाहिए जिसमें कार्यक्षेत्र का संकेत दिया गया हो। सेवाओं और संबंधित भुगतानों की। इसी प्रकार यदि उद्योग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/ पीएफआरआई की प्रयोगशाला/बेंच स्तरीय प्रौद्योगिकी को उन्नत करने का प्रस्ताव कर रहा है तो उस प्रयोगशाला स्तर की प्रौद्योगिकी के विकास/उपयोग के लिए उद्योग प्रयोगशाला के बीच पहले से किए गए संबंधित समझौतों की आवश्यकता होगी प्रस्ताव में संलग्न किया जाए।

3. *क्या कोई प्राथमिकता वाले क्षेत्र/क्षेत्र हैं?*
पेस औद्योगिक रूप से उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए अग्रणी किसी भी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन के लिए परियोजनाओं पर विचार कर सकता है।

4. *किस प्रकार के परियोजना प्रस्ताव समर्थित नहीं हैं?*
निम्नलिखित प्रकृति के परियोजना प्रस्तावों को आम तौर पर पेस के तहत समर्थित नहीं किया जाएगा:
(क) संस्थानों में लैब स्केल का काम
(ख) उद्योग में बेंच स्केल का काम
(ग) प्रौद्योगिकी आयात/ व्यावसायीकरण
(घ) उत्पाद/ प्रक्रिया में मामूली सुधार
(ङ) ओपन एंडेड रिसर्च से जुड़ी परियोजनाएं
(च) केवल क्लिनिकल परीक्षण वाली परियोजनाएं

5. *कौन सी गतिविधियां समर्थन के लिए पात्र हैं?*

समर्थन नए उत्पाद/प्रक्रिया विकास में अनुसंधान एवं विकास के लिए है अर्थात अनुसंधान/डिजाइन/विकास/इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, परामर्श, प्रोटोटाइप/पायलट संयंत्र उपकरण और मशीनरी, विशेष उपकरण और उपकरण, परीक्षण और मूल्यांकन/प्रमाणन, उपयोगकर्ता परीक्षण/क्षेत्र के लिए व्यय बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित परीक्षण और व्यय, अर्थात पेटेंट, डिजाइन पंजीकरण, ट्रेडमार्क और आईपीआर सुरक्षा का कोई अन्य रूप। केवल प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद की गई गतिविधियाँ ही डीएसआईआर सहायता के लिए पात्र हैं।

6. *कौन सी गतिविधियां समर्थन के लिए पात्र नहीं हैं?*

निम्नलिखित गतिविधियों की लागत पेस के तहत समर्थित नहीं है:

(क) पूर्व-परियोजना गतिविधियां (प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण और पेटेंट खोज सहित)

(ख) उद्योग की स्थायी कर्मचारी लागत

(ग) उद्योग कर्मियों की टी रवेल लागत

(घ) उद्योग उपरिव्यय

(ङ) आकस्मिक प्रावधान

(च) वाणिज्यिक संगठनों से प्राप्त प्रौद्योगिकी के लिए भुगतान

(छ) भूमि, भवन जैसी बुनियादी सुविधाएं

(ज) उत्पादन के उपकरण

(झ) मानक गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण

7. *'परियोजना' की परिभाषा क्या है?*

पेस के तहत परियोजनाएं आम तौर पर उद्योग और/या अनुसंधान एवं विकास संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पीएफआरआई द्वारा प्रयोगशाला पैमाने/बेंच पैमाने के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद शुरू की गई गतिविधियों को कवर करती हैं, जब तक कि प्रौद्योगिकी विकास और उत्पाद का प्रदर्शन पूरा नहीं हो जाता। उस तकनीक के आगे व्यावसायीकरण से पहले एक पायलट/प्रदर्शन पैमाने पर व्यावसायिक रूप से उत्पादित प्रोटोटाइप/या प्रक्रिया (एस) के रूप में विकसित किया गया। यह परियोजना (क) इंजीनियर प्रोटोटाइप के डिजाइन और विकास के लिए हो सकती है, या (ख) प्रक्रिया विकास उत्पादों जैसे रसायन, उर्वरक, धातुकर्म उद्योग आदि के लिए पायलट प्लांट स्तर की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और प्रदर्शन के लिए हो सकती है।

7क. पीएफआरआई का क्या मतलब है?

पीएफआरआई या पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का मतलब एक शोध संस्थान है जिसके मामले में आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

8. *कितने समर्थन की उम्मीद की जा सकती है?*

समर्थन आम तौर पर कुल परियोजना लागत के 50% तक सीमित होगा। उचित औचित्य द्वारा समर्थित होने पर समर्थन की उच्च मात्रा पर विचार किया जा सकता है। तथापि, किसी एकल परियोजना में सरकारी सहायता की अधिकतम राशि सामान्यतः रु. 5.00 करोड़ तक सीमित होगी। सहयोगी परियोजनाओं के मामले में, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों (पीएफआरआई) को अनुदान ऋण के समवर्ती हैं और किसी भी परियोजना में पीएफआरआई को स्वीकृत अनुदान उद्योग को स्वीकृत ऋण की राशि से अधिक नहीं होगा, जो कुल डीएसआईआर समर्थन (अनुदान + ऋण) तक सीमित है। प्रति परियोजना रु.5.00 करोड़।

9. *प्रस्ताव का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा?*

प्रस्ताव की शुरुआत में विभाग द्वारा आंतरिक रूप से पूर्णता के लिए जांच की जाएगी और उसके बाद डोमेन विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, प्रस्ताव पर पीएसीई की एक उच्च स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा विचार किया जाएगा।

10. *क्या किसी को अपने प्रस्ताव को समझाने का अवसर मिलता है?*

प्रस्ताव सभी आवश्यक विवरण देते हुए स्व-व्याख्यात्मक होना चाहिए। तथापि, विभाग द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान, यदि आगे स्पष्टीकरण/चर्चा की आवश्यकता हो, तो आवेदक को ये विवरण प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। आवेदक को पेस की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

11. *क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोई अंतिम तिथि है?*

नवीनतम विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत प्रस्तावों पर आगामी टीएसी में विचार किया जाएगा।

12. *फंड कैसे जारी किया जाएगा?*

टीएसी की सिफारिश के बाद विभाग में सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के बाद धनराशि की पहली किस्त जारी की जाएगी। शेष राशि परियोजना के लिए अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर किश्तों में जारी की जाएगी। इसके लिए, कंपनी को अपने हिस्से के साथ-साथ मांगे गए डीएसआईआर शेयर को इंगित करते हुए धन की आवश्यकता के लिए छह मासिक कार्यक्रम प्रदान करना होगा। अनुदान की अंतिम किश्त परियोजना पूर्ण होने के बाद, परियोजना समापन रिपोर्ट, व्यय का लेखापरीक्षित विवरण और लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

13. *क्या कंपनी को बैंक गारंटी देनी होगी?*

भारत सरकार के जीएफआर 2017 प्रावधानों के नियम 255 के अनुसार बैंक गारंटी के माध्यम से ऋण सुरक्षित किया जाएगा। हालांकि बैंक गारंटी किश्तों में ली जाएगी, जो

ऋण की रिहाई के साथ मेल खाती है। बैंक गारंटी जारी करना भी ऋण की किश्तों की अदायगी के साथ ही होगा।

14. *परियोजना का 'सफल समापन/व्यावसायीकरण' क्या है?*

एक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया माना जाएगा जब कंपनी द्वारा सभी अनुमानित डिलिवरेबल्स को पूरा कर लिया गया है और एक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट डीएसआईआर को प्रस्तुत की गई है। परियोजना समीक्षा समिति द्वारा अपनी अंतिम बैठक में परियोजना के पूरा होने की तिथि घोषित की जाएगी, और उस पर ऋण चुकौती और उस पर ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा। एक परियोजना को उस तारीख को सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण माना जाएगा जब उद्योग अपने मौजूदा संयंत्र में उत्पाद की पहली व्यावसायिक बिक्री करता है या पीएसीई परियोजना के परिणाम के आधार पर स्थापित एक नया उत्पादन संयंत्र करता है।

15. *क्या कंपनी को परियोजना के लिए दिए गए डीएसआईआर फंड को चुकाना होगा?*

कंपनी को डीएसआईआर द्वारा स्वीकृत ऋण को उस पर लागू ब्याज के साथ चुकाना होगा। ऋण लेने वाले (निजी कंपनियों) को सामान्य निर्धारित ब्याज दर (12%) पर ऋण स्वीकृत किया जाएगा और सामान्य दर और रियायती दर (3%) के बीच के अंतर को सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दावा करना होगा उधारकर्ता, मूलधन और उस पर ब्याज की शीघ्र चुकौती के अधीन। उधारकर्ता (कंपनी) को ऋण चुकाने की आवश्यकता होगी, जिस पर ब्याज की गणना किसी भी ऋण किस्त के जारी होने की तिथि से पहली किस्त के पुनर्भुगतान की तिथि तक की जाएगी। कुल मूलधन और पहली किस्त के भुगतान की तिथि तक परिकलित कुल ब्याज का भुगतान पांच समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। इसके अलावा, उधारकर्ता (कंपनी) को पुनर्भुगतान की अवधि के दौरान निर्धारित सामान्य दर पर मूलधन की शेष राशि को कम करने पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा। चुकौती योग्य राशि एनआरडीसी द्वारा डीएसआईआर की ओर से एकत्र की जाएगी और डीएसआईआर के पास जमा की जाएगी। इसके बाद, एनआरडीसी पेशेवर सेवा शुल्क के रूप में जमा की गई राशि का 15% डीएसआईआर से दावा करने का हकदार होगा। पेशेवर सेवा शुल्क पर भुगतान किया जाने वाला सेवा कर या कोई अन्य कर एनआरडीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा। मूलधन और उस पर ब्याज की प्रत्येक किस्त की अदायगी के बाद उधारकर्ता (कंपनी) द्वारा सरकार से सब्सिडी का दावा किया जाएगा।

16. *एनआरडीसी क्या है?*

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम डीएसआईआर के तहत भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशेषज्ञता प्राप्त है।

17. *आईपीआर का मालिक कौन है?*

फर्म और सहयोगी एजेंसियों के पास आईपीआर (उनके द्वारा किए गए समझौते के

अनुसार) का स्वामित्व होगा। वे आईपीआर के किसी भी संभावित उल्लंघन के खिलाफ सरकार को हर्जाना भी देंगे।

18. *क्या फर्म को अपनी तकनीक किसी अन्य पार्टी को बेचने की आवश्यकता होगी?*

विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग और व्यावसायीकरण का पहला अधिकार कंपनी के पास होगा। पीएसीई समझौते के क्लॉज 13 और अन्य संबंधित क्लॉज के अनुसार कारण के लिए परियोजना को कम बंद करने के मामले में, तीसरे पक्ष के लाइसेंस के लिए प्रौद्योगिकी को एनआरडीसी को सौंपने की आवश्यकता होगी। इस तरह के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व परियोजना में वास्तविक वित्तीय योगदान के अनुसार या संबंधित परियोजना के लिए विशिष्ट के अनुसार निष्पादन एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा। प्रौद्योगिकियों के मामले में, जो संयुक्त रूप से राष्ट्रीय प्रयोगशाला के पहले प्रयोगशाला/बेंच पैमाने के काम, दायित्व और पूर्व समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर संयुक्त रूप से विकसित/बढ़ी हुई हैं, समझौता ज्ञापन को ध्यान में रखा जाएगा।

19. *गोपनीयता के बारे में क्या?*

परियोजना से संबंधित सभी संबंधित आवश्यकतानुसार गोपनीयता सुनिश्चित करेंगे।

20. *समझौते/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए?*

पीएसीई के तहत समर्थित कंपनियों को परियोजना को मंजूरी देने से पहले डीएसआईआर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। उन्हें अर्धवार्षिक संक्षिप्त प्रगति रिपोर्ट और लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। संक्षिप्त प्रगति रिपोर्ट और प्रक्षेपण बैठक से 10 दिन पहले परियोजना समीक्षा समिति के सदस्यों को प्रस्तुत करना होगा। परियोजना के अंत में, एक परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

21. *क्या संशोधन, पुल-आउट संभव है?*

जब परियोजना चल रही हो, तब डीएसआईआर किसी संशोधन को प्रोत्साहित नहीं करेगा। संशोधित प्रस्ताव को एक नए प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा, जब तक कि संशोधन मामूली प्रकृति के न हों, जैसा कि विभाग द्वारा तय किया गया है। इसी तरह, कंपनी से अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और योजना के अनुसार परियोजना को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। यदि कंपनी परियोजना को छोड़ देती है, तो विभाग इसे गंभीरता से लेगा और कंपनी को जारी होने की तारीख से डीएसआईआर को पुनर्भुगतान की तारीख तक सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य ब्याज दर के साथ प्राप्त धन को वापस करने की आवश्यकता होगी। .

22. *कंपनी क्या अतिरिक्त लाभ की उम्मीद कर सकती है?*

मौजूदा नियमों के अनुसार परियोजना के दायरे में आने वाली आयातित वस्तुओं के लिए डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों के लिए सीमा शुल्क छूट की सिफारिश की जाती है।

23. *कंपनी कब हाथ मिलाती है?*

समझौते में विभिन्न प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समझौते की अवधि 12 वर्ष है जैसे पुनर्भुगतान, तृतीय पक्ष लाइसेंसिंग, यदि कोई हो, आदि।

24. *क्या कंपनी किसी अन्य एजेंसी/सरकार से वित्तीय सहायता ले सकती है? विभाग/बैंक?*

हां, लेकिन यह सारी जानकारी परियोजना प्रस्ताव आवेदन में देनी होगी।

25. *क्या पेस योजना पेटेंट अधिग्रहण गतिविधि का समर्थन करती है?*

हितधारकों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए पेटेंट अधिग्रहण गतिविधि को वापस ले लिया गया है।

VII. पेस परियोजना आवेदनों के लिए चेकलिस्ट

आवेदन जमा करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में निम्नलिखित सहायक दस्तावेज दिए गए हैं

क्र.सं.	दस्तावेज़/आइटम	जांचें कि क्या संलग्न है	पृष्ठ सं. आवेदन में
1.	संस्था के लेख		
2.	पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट		
3.	डीएसआईआर इन-हाउस आर एंड डी मान्यता पत्र, यदि लागू हो		
4.	पिछले तीन वर्षों के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय का विवरण		
5.	उद्योगो और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानो की कसोर्टियम परियोजनाओ के मामले में संबंधित संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन।		
6.	इस प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के लिए फर्म को प्रतिबद्ध बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण और परियोजना को पूरा करने के लिए फर्म द्वारा निधियों के वितरण को मंजूरी देना।		
7.	प्रस्तावित उत्पाद के लिए बाजार सर्वेक्षण के परिणाम।		
8.	पेटेंट खोज के परिणाम।		
9.	उत्पाद के लिए लक्षित विनिर्देश।		
10.	मार्केट लीडर के साथ लक्षित विनिर्देशों की तुलना।		
11.	परीक्षण प्रोटोकॉल		
12.	प्रासंगिक ऑफ़र/अनुमान के साथ लागत बैक अप		
13.	गतिविधि-संसाधन योजना		
14.	फर्म के लिए धन का स्रोत (डीएसआईआर समर्थन के अलावा)		
15.	मौजूदा सुविधाओं की सूची जिनका उपयोग इस परियोजना के लिए किया जाएगा		
16.	उत्पाद का परीक्षण करने और प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए संभावित उपयोगकर्ताओं की प्रकृति और प्रतिबद्धता।		
17.	प्रस्ताव का स्व-मूल्यांकन		